134

परिषद के मुख्यालय 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ पर
दिनांक 17-7-78 को प्रातः 10-30 बजे पूर्वान्ह हुई
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की वर्ष 1978 की
चतुर्थ बैठक की कार्य-वृत्त ।

उपस्थित

(1)	श्री बी0जे0बोदायजी		अध्यक्ष
(2)	श्री ए0बी0सिंह	आवास आयुक्त	सदस्य
(3)	श्री त्रिभुवन नारायन सिंह		सदस्य
(4)	श्री राम औतार दीक्षित		सदस्य
(5)	श्री सुधीर कुमार विश्वास	विशेष सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
(6)	श्री जे0पी0दुबे	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य
(7)	श्री मोहर सिंह	उप सचिव, स्वायत्त शासन विभाग	सदस्य
(8)	श्री इन्दु प्रकाश ऐरन	प्रशासक, नगर महापालिका, लखनऊ	सदस्य
(9)	प्रो0 दिनेश मोहन	निदेशक, केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की	सदस्य

क्रम सं0	विषय	संकल्प	निर्णय
(1)	दिनांक 5-5-78 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि ।	iv/(1)/78	परिषद की दिनांक 5-5-78 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई ।
(2)	परिषद की गत बैठक में लिए गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की समीक्षा ।	iv/(2)/78	परिषद की दिनांक 5-5-78 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि इस संशोधन के साथ की गई कि परिषद निर्णय संख्या-ii/(5)/78 के अन्त में निम्नांकित शब्द जोड़ दिये जाये :- " यह प्रणाली परिषद के लिये अपनाना उपयुक्त होगा या नहीं इसका भी परीक्षण किया जाये "
(3)	मुख्यालय पर मुख्य भवन के प्रथम तल पर प्रथम फेज तथा द्वितीय फेज स्टेयर केस के साथ लगे हुये स्थान पर कमरों का निर्माण ।	iv/(3)/78	परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।
(4)	महात्मा गांधी मार्ग पर रेलवे स्टेशन के समीप मार्ग एवन्यू भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, लखनऊ में आवासीय भवनों का निर्माण ।	iv/(4)/78	परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।

[signature]

क्र0प0उ0

1	2	3	4
(5)	परिषद की भेलूपुरा योजना जोन नं0-2 वाराणसी में समाविष्ट फ्रेण्ड्स हाउसिंग कम्पनी को 1·86 एकड़ भूमि कम्पनी को वापस करने के संबंध में ।	1v/(5)/78	परिषद व्दारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।
(6)	आगरा मथुरा रोड के बीच भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-9 अलीगढ़ की धारा-31(2) के अधीन परिषद की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्राक्कलन ।	1v/(6)/78	परिषद व्दारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।
(7)	दोहरी घाट रोड गृहस्थान योजना, आजमगढ़ की धारा-31(2) के अधीन परिषद की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्राक्कलन	1v/(7)/78	परिषद व्दारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया साथ साथ यह भी निर्देश दिया गया कि विकास व्यय की पुनः परीक्षण किया जाये और इस को कम करने का प्रयास किया जाये ।
(8)	रायपुर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-1 देहरादून की धारा-31(2) के अधीन परिषद की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्राक्कलन ।	1v/(8)/78	परिषद व्दारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।
(9)	रायबरेली भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-3 रायबरेली के संबंध में नियोजन समिति व्दारा लिये गये निर्णय पर विचार ।	1v/(9)/78	परिषद व्दारा नियोजन समिति के निर्णय की पुष्टि की गई ।
(10)	नूरुल्ला रोड योजना इलाहाबाद (क्षेत्रफल 0·56एकड़) अनुमानित लागत रु0 6·00लाख के संबंध में प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई व नियोजन समिति के निर्णय पर विचार ।	1v/(10)/78	परिषद व्दारा नियोजन समिति के निर्णय की पुष्टि की गई । साथ साथ यह भी निर्देश दिया गया कि जिन व्यक्तियों ने परिषद अधीनियम की धारा-28 के अन्तर्गत विज्ञप्ति की [illegible] प्रकाशन के पश्चात् अनधिकृत निर्माण किये है उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाये । ऐसी कार्य-वाही इस तरह के समस्त मामलों में की जाये
(11)	विश्वनाथ रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना अलीगढ़ (क्षेत्रफल 5·2 एकड़ अनुमानित लागत रु0 4·86 लाख) के विरुद्ध प्राप्त आपत्तियों पर नियोजन समिति के निर्णय पर विचार ।	1v/(11)/78	परिषद व्दारा नियोजन समिति के निर्णय की पुष्टि की गई ।

कृ०प०उ०

1	2	3	4
(12)	सिविल लाइन्स भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-1 बादपुर (क्षेत्रफल 31 एकड़ अनुमानित लागत 33.29 लाख) के संबंध में नियोजन समिति द्वारा लिये गये निर्णय पर विचार ।	iv /(12)/78	विचार विमर्श के उपरान्त परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि फिलहाल प्रश्नगत भूमि के अध्यापन की कार्यवाही लम्बित रखी जाये । निकटतम आबादी से एक मील की दूरी के भीतर वैकल्पिक स्थल का चयन किया जाये ।
(13)	राम राज रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना बाजपुर (क्षेत्रफल 51.87 एकड़ अनुमानित लागत 41.40 लाख) के विरुद्ध प्राप्त आपत्तियों पर नियोजन समिति के निर्णय पर विचार ।	iv /(13)/78	विचार विमर्श उपरान्त परिषद ने इस योजना को समाप्त करने का निर्णय लिया क्योंकि यह एरिया जल प्लावित हो जाता है । यदि इसके लिये जल निकास (ड्रेनेज) का निर्माण कराया जाय तो इस पर अति अधिक व्यय होगा जो लगभग 10 लाख रुपया तक अनुमानित है और ~~अधिक~~ सम्भवतः इस व्यय भार का वहन सिंचाई विभाग द्वारा नहीं जो पाये गा । आबादी के निकट वैकल्पिक स्थल का चयन करके 30-35 एकड़ भूमि के अध्यापन की कार्यवाही की जाये ।
(14)	अकबरपुरा गृहस्थान योजना बहराइच (क्षेत्रफल 16 एकड़ तथा अनुमानित लागत 15.76 लाख) के संबंध में नियोजन समिति के निर्णय पर विचार ।	iv/(14)/78	विचार विमर्श उपरान्त परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत स्थल का परित्याग किया जाये तथा किसी अन्य उपयुक्त स्थल का चयन कर भूमि अध्यापन की कार्य-वाही अतिशीघ्र की जाये ।
(15)	परिषद की योजनाओं में विदेशी मुद्रा द्वारा सम्पत्ति के मूल्य का भुगतान करने हेतु पंजीकरण तथा आवंटन के नियम व शर्तें ।	iv/(15)/78	परिषद द्वारा विचार विमर्श के पश्चात् इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुये निम्नांकित निर्देश दिये गये :- (1) विदेशी मुद्रा के रैमिटटैन्स remittance की विधि procedure भी अंकित की जाय । (2) इस योजना के अन्तर्गत भवन/भूखण्ड का आवंटन विदेश में निवास करने वाले भारतीय नागरिकों के नाम ही किया जायेगा तथा पूर्ण मूल्य का भुगतान एक मुश्त (lump sum) में लिया जायेगा । क्र०प०उ०

(131)

1	2	3	4
			(3) परिषद की इन आवासीय योजनाओं का प्रचार बैंकों के माध्यम से किया जाय । (4) यदि दूतावासों को प्रचार प्रसार सम्बन्धी साहित्य भेजा जाना हो तो इसके लिये विदेश मंत्रालय भारत सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त की जानी चाहियें । (5) यदि विशेष परिस्थितियों में किसी नियम का शिथिल किया जाना आवश्यक समझा जाये तो परिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जाये ।
(16)	केन्द्रीय सरकार एवं प्रदेश शासन के विभागों एवं उनके संस्थाओंको भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में शर्तें आदि ।	17/(16)/78	परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को निम्नलिखित संशोधन के साथ स्वीकार किया गया :- (1) प्रस्ताव के क्रम संख्या-3 पर अंकित शर्त को निकाल दिया जाये । (2) शासन के विभागों अथवा संस्थाओं को आवंटित सम्पत्ति का कब्जा भुगतान होने पर बिना विक्रय पत्र के निष्पादन की औपचारिकता के दे दिया जाये ।
(17) 0	जी०टी०रोड पर रोडवेज के समीप भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना अलीगढ़ के अन्तर्गत श्री एन०एस०अन्सारी के जिलाधिकारी गाजिया बाद को आवंटित भवन संख्या 274 के संबंध में ।	17/(17)/78	परिषद द्वारा श्री एन०एस०अन्सारी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया । साथ साथ यह भी निर्णय लिया गया कि यदि किसी व्यक्ति को निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी में परिवर्तित भवन आवंटित किया गया हो और वह व्यक्ति उसे न लेकर ऐसे भवन की अपेक्षा करें जो उसकी पंजीकरण की श्रेणी के लिये ही बनाया गया तो उसका यह विकल्प स्वीकार कर लिया जाये । ऐसे केस में परिवर्तन शुल्क नही लिया जायेगा और बयाने की धनराशि जब्त नही की जायेगी । आवास आयुक्त को उपरोक्त अनुसार कार्यवाही के लिये अधिकृत किया गया ।
(18)	सहकारी गृह निर्माण समितियों के पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अतिरिक्त स्टाफ की नियुक्ति के संबंध में ।	17/(18)/78	(1) विचार विमर्श उपरान्त परिषद द्वारा निम्नांकित पद स्वीकृत किये गये । जिस जिस का व्यय भार परिषद कोष से वहन किया जायेगा । (i) निरीक्षक वर्ग 1 (सहकारी अधिकारी एक पद आवास) वेतनमान 350-700 (ii) निरीक्षक वर्ग 2 (वेतनमान-280-460) ग्यारह पद

130

1	2	3	4
			(iii) सहकारी पर्यवेक्षक(वेतनमान 230-385) बाईस पद (2) परिषद द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि प्रत्येक कर्मचारी के लिये नार्म(Norm) निर्धारित किये जाये और कार्य प्रगति की वार्षिक रिपोर्ट उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा शासन को भेजी जायेगी । (3) शासन से उक्त स्टाफ पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति(Re-umbursement) हेतु अनुरोध किया जाय जैसा कि गन्ना सहकारी समितियों के स्टाफ के लिये किया जाता है ।
(19)	सहायक निदेशक(पब्लिसिटी-कम-पब्लिक रिलेशन्स) को अग्रिम वेतन वृद्धियाँ स्वीकृत करने के संबंध में ।	iv/(19)/78	विचार विमर्श उपरान्त परिषद द्वारा श्री सुहेल परवेज़ सहायक निदेशक (पब्लिसिटी-कम-पब्लिक रिलेशन्स) को दो अग्रिम वेतन वृद्धियाँ स्वीकृत की गई । यह स्वीकृति दिनांक 1-7-78 से प्रभावी होगी ।
(20)	उप आवास आयुक्त एवं सचिव को प्रदत्त वित्तीय अधिकारों में वृद्धि एवं कुछ अन्य अधिकारों का प्रतिनिधान ।	iv/(20)/78	विचार विमर्श उपरान्त परिषद द्वारा टिप्पणी के संलग्नक चार्ट में क्रम संख्या 1 से 8 पर उल्लिखित प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की गई । क्रम संख्या 9 पर अंकित प्रस्ताव पर स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ दी गई कि टाइपराइटर, डुप्लीकेटर, कैलकुलेटर मशीनों की मरम्मत पर उप आवास आयुक्त एवं सचिव एक समय में 1000/= तक तथा वर्ष में 5000/= तक व्यय की स्वीकृति दे सकते है । पोस्टल फ्रैंकिंग मशीन की मरम्मत पर व्यय के लिये उन्हें पूर्ण रूप से अधिकृत किया जाता है ।
(21)	परिषद द्वारा गठित कार्यान्वयन समिति की रिपोर्ट का अनुमोदन ।	iv/(21)/78	परिषद द्वारा कार्यान्वयन समिति की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । सिविल लाइन योजना मुरादाबाद में स्थित श्री जी0डी0 पटनी के भवन से मिली हुई भूमि के बारे में परिषद द्वारा यह निर्देश दिया गया कि अधीक्षण अभियन्ता स्वयं इस की जाँच करें और जाँच उपरान्त दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जाय ।

कृ0प0उ0

1	2	3	4
(22)	देहरादून की इन्द्रा नगर आवास योजना के अन्तर्गत विकसित भूखण्ड संख्या-15 के निरस्तीकरण के पश्चात् लखनऊ शहर में उच्च आय वर्ग के भवन हेतु तत्कालीन ले०कर्नल(अब ब्रिगेडियर) एच०बी०एस०ग्रेवाल का पंजीकरण ।	iv /(22)/78	परिषद द्वारा इस प्रस्ताव पर एक विशेष केस के तौर पर इस संशोधन के साथ स्वीकृति प्रदान की गई कि बयाने की धनराशि जब्त कर ली जाये और ब्रिगेडियर ग्रेवाल को उनके द्वारा जमा धनराशि पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा ।
(23)	ऋषिकेश में भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या 1 व 2 के समाप्त करने के बारे में	iv/(23)/78	माह अगस्त में प्रस्तावित स्थानीय निरीक्षण को दृष्टिगत रखते हुये इस प्रस्ताव पर निर्णय स्थगित रखा गया ।
(24)	मुख्यालय पर बैठक कक्ष को वातानुकूलित करने के संबंध में ।	iv/(24)/78	परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।
(25)	अभियन्त्रण विभाग के अन्तर्गत "हुडको सेल" की स्थापना एवं उसमें स्टाफ की सृजन ।	iv/(25)/78	परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया साथ साथ यह भी निर्देश दिये गये कि प्रोजेक्ट प्लानिंग अपरेजल एवं मानीटरिंग(Project Planning appraisal and monitoring सेल का सृजन किया जाये ।
(26)	झूंसी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-1 इलाहाबाद	iv/(26)/78	परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।
(27)	झूंसी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-2 इलाहाबाद ।	iv/(27)/78	परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।
(28)	झूंसी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-3 इलाहाबाद ।	iv/(28)/78	परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।
(29)	मेरठ योजना संख्या-3 के तृतीय केन्द्र में उपलब्ध रिक्त भूमि पर 24 दुर्बल आय वर्ग डब्लू०एस०-1/77/1 भवनों के निर्माण का प्रस्ताव ।	iv/(29)/78	परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।
(30)	परिषद की बड़ी योजनाओं में सामुदायिक केन्द्रों का प्राविधान ।	iv/(30)/78	विचार विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि परिषद की विभिन्न योजनाओं

कृ०प०उ०

1	2	3	4
			के 500 भवनों के समूह पर एक सामुदायिक केन्द्र (Community Center) का निर्माण कराया जाय । परिषद द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि परिषद की योजनाओं में पुलिस चौकी तथा डाकखाने के लिये भूमि की निःशुल्क व्यवस्था की जाये । इस निःशुल्क भूमि के मूल्य का समायोजन भूमि विकास व्यय में किया जायेगा । परिषद द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि चिकित्सालय की व्यवस्था चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के परामर्श से तथा स्कूल की व्यवस्था शिक्षा विभाग के परामर्श से की जाये ।
(31)	रिंग रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-1, मुजफ्फर नगर के संबंध में ।	iv/(31)/78	विचार विमर्श उपरान्त परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि शासन से पूर्व निर्गत आदेश पर पुनर्विचार हेतु अनुरोध किया जाये ।
(32)	परिषद द्वारा निर्मित भवनों/खण्डों के आवंटन में अनुसूचित जाति/जन जाति एवं पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण	iv/(32)/78	परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुये यह निर्देश दिया गया कि इसे शासन को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाये ।
(33)	लाजपत नगर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना मुरादाबाद में निर्मित माध्यम आय वर्ग के भवनों के संबंध में ।	iv/(33)/78	परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।
(34)	3-गोखले मार्ग गृहस्थान योजना, लखनऊ ।	iv/(34)/78	परिषद द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया । भूमि निजी बात-चीत द्वारा क्रय की जाये भूमि पर स्थित भवन को भवन स्वामी को गिराना होगा । इन सब बिन्दुओं पर विधिक राय प्राप्त की जाये । परिषद अधिनियम की धारा-28 के अन्तर्गत विज्ञाप्ति जारी की जाये ।
(35)	क्रय एवं आवंटित सम्पत्तियों सम्बन्धी वसूली के लेखा के कार्य हेतु अतिरिक्त स्टाफ की स्वीकृति ।	iv/(35)/78	विचार विमर्श उपरान्त परिषद द्वारा इस प्र प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।

ह०प०उ०

1	2	3	4
(36)	राम सागर मिश्र नगर योजना, लखनऊ के सेक्टर-4 में हडको ऋण से प्रस्तावित 1040 दुर्बल आय वर्ग भवनों का निर्माण कार्य ।	1v/(35)/78	विचार विमर्श उपरान्त परिषद ब्दारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।
(37)	परिषद मुख्यालय पर बहुखण्डी भवन का निर्माण । [illegible]	1v/(37)/78	विचार विमर्श उपरान्त परिषद ब्दारा यह निर्णय लिया गया कि परिषद कार्यालय के प्रांगण में आवासीय भवनों का निर्माण करवाया जाय तथा हिल्टन लेन योजना स्थल पर कार्यालय के लिये भवन का निर्माण किया जाये
(38)	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय ।	1v/(38)/78	कार्य निदेशक ब्दारा कार्य प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी । परिषद ब्दारा निम्नांकित निर्देश दिये गये :- (1) चालू वित्तीय वर्ष में निर्माण कार्यों में तेजी लायी जाय तथा निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति की जाय । (2) सीमेंट की कमी को ध्यान में रखते हुए अन्य वैकल्पिक सामग्री का प्रयोग किया जाय । भवनों के अन्दर प्लास्टर के लिये सीमेंट के प्रयोग के बारे में सी०बी०आर०आई०, रुड़की की राय ली जाय । (3) साइट एण्ड सर्विसेज़ की योजना परिषद ब्दारा बड़े स्तर पर चलाई जाय । भूमि अर्जन तथा भूमि विकास का व्यय कम करने पर विचार किया जाय जिससे साइट एण्ड सर्विसेज़ योजना अन्तर्गत विकसित प्रत्येक भूखण्ड 2700/= में उपलब्ध कराया जा सकें ।

पुष्टि की गई

[signature]
16/9/78
अध्यक्ष
16/9/78